रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1984 (आश्विन 7, 1906)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1984 (ASVINA 7, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

वित्तीय कंपनी विभाग

कलकत्ता-700001 दिनांक 22 अगस्त 1984

संदर्भ सं०डी०एफ०सी० 51/ई० डी० (डी०)—84 —भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 45ज, 45ट, तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 नीचे दिये गये अनुसार, तत्काल, संशोधित किये जायं, अर्थात्—

(i) जहां कहीं भी "गैर-बैंकिंग कंपनी विभाग" शब्दावली आवे, उसके स्थान पर "वित्तीय कंपनी विभाग" शब्दावली जोड़ी जाय ।

(ii) पैरा ग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) में —

(क) वर्तमान खण्ड (घ) के बाद, एक नया खण्ड (घघ) जोड़ा जाय, अर्थात्,

"(घघ) "उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कंपनी" से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी है जो एक वित्तीय संस्था है और जिसका प्रधान कारबार उपस्कर पट्टे पर देना अथवा ऐसे कार्य के लिए वित्तपोषण करना है ।"

(ख) खण्ड (ज) में, "किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दावली के स्थान पर "उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कंपनी अथवा किराया खरीद वित्त कंपनी" शब्दावली जोड़ी जाय, और

(ग) खण्ड (ठ) में, "परस्पर हितलाभ वित्तीय कंपनी" शब्दावली के बाद "और उपस्कर पट्टे पर देनेवाली एक कंपनी" शब्दावली जोड़ी जाय ।

(iii) खण्ड (ख) में, पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) में, "अथवा कोई ऋण कंपनी" शब्दावली के बाद "अथवा उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कोई कंपनी" शब्दावली जोड़ी जाय ।

(iv) पैराग्राफ 5 में, उप-पैराग्राफ (3) के बाद निम्नलिखित को उप-पैराग्राफ (4) के रूप में जोड़ा जाय, अर्थात् ,

(4) उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कम्पनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकृत करने अथवा नवीकरण करने पर प्रतिबंध

(i) पहली सितम्बर 1984 को और उस दिन से उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कोई भी कम्पनी मांग अथवा नोटिस पर चुकौती अथवा छः महीने से कम की अवधि और ऐसी जमाराशि की प्राप्ति की तारीख से छत्तीस महीने से जादा अवधि के बाद चुकौती योग्य जमाराशि तब तक प्राप्त नहीं करेगी अथवा प्राप्त किसी जमाराशि का नवीकरण नहीं करेगी, चाहे वह उक्त तारीख के पहले हो या बाद में, जब तक इस प्रकार की जमाराशि, अथवा नवीकरण इस प्रकार के नवीकरण की तारीख से छः महीना पहले तथा छत्तीस महीना बाद चुकौती योग्य नहीं हो जाता ।

बशर्ते जब कोई उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कम्पनी 1-9-84 से पहले छत्तीस महीने से ज्यादा अवधि के बाद चुकौती योग्य जमा स्वीकार कर चुकी हो । जब तक इस प्रकार की जमाराशियां इन निदेशों के अनुसार नवीकृत नहीं कर ली जातीं तब तक उनकी चुकौती ऐसी जमाराशियों के अनुसार की जाती रहेगी ।

यह भी कि डिबेंचरों अथवा बांडों के निर्गम से जुटाये गये धन के संबंध में यह खण्ड लागू नहीं होगा ।

(ii) पहली सितम्बर 1984 को तथा उस तारीख से उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कोई भी कंपनी अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के दस गुने से अधिक जमाराशियां नहीं रखेगी । इन जमाराशियों की कुल रकम, कंपनी द्वारा रखी गई राशियों को मिलाकर, का उल्लेख पैराग्राफ 3 के खण्ड (ii), (iii) एवं (ix) में किया गया है ।

(v) पैराग्राफ 12 में "प्रत्येक किराया-खरीद वित्त कंपनी और प्रत्येक आवास वित्त कंपनी" के स्थान पर "प्रत्येक किराया-खरीद कम्पनी, आवास वित्त कम्पनी और उपस्कर पट्टे पर देनेवाली कम्पनी" शब्दावली जोड़ दी जाय ।

संदर्भ सं० डी०एफ०सी० 52/ई०डी० (डी०)—84 — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ज, 45ट तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 नीचे दिये गये अनुसार तत्काल, संशोधित किये जायं, अर्थात् —

1. जहां कहीं भी "गैर बैंकिंग कंपनी विभाग" शब्दावली आये, उसके स्थान पर "वित्तीय कंपनी विभाग" शब्दावली जोड़ी जाय ।

वाई. वी. दामले
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय कार्यालय,
बंबई, दिनांक 14 अगस्त 1984

सं० ए०डी०एम०/ 44008—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री एन०सी० बनर्जी ने दिनांक 11 अगस्त 1984 से उप प्रबंध निदेशक (सहयोगी बैंक) का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

सी०आर० विजयराघवन, मुख्य महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली—110002, दिनांक 9 अगस्त 1984

सं० 3—एन०सी०ए० (5)/1/84—85 —इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4—सी०ए० (1)/19/79—80, दिनांक 15-3-80, 4—सी०ए० (1)/19/79—80 दिनांक 15-3-80 के सन्दर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है ।

क्रं० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	15651	श्री जगदीश कुमार, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, बी—81, सुभद्रा कोलोनी, सराई रोहिल्ला, दिल्ली	9-4-84
2.	15913	श्री सुधीर कुमार गुप्ता, ए०सी०ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, केयर ओफ श्री बी०के० गुप्ता, ई—241, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, नई दिल्ली-110048 ।	2-4-84

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1984

सं०एन–15/13/1/3/83–यो० एवं वि० (1)–कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क" "ख" तथा "ग" के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 25–8–84 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है।	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	25-8-84	26-1-85	25-5-85	26-10-85
ख	25-8-84	29-9-84	25-5-85	29-6-85
ग	25-8-84	24-11-84	25-5-85	31-8-85

अनुसूची :—

1. "आन्ध्र प्रदेश राज्य के आदिलाबाद जिले के अंतर्गत पश्चिम में आसिफाबाद तालुक के महाजनगुड़ा (पूर्व) बन्जारी (उत्तर) और दक्षिण में सीरपुर तालुक के बोरीग्राम के राजस्व ग्रामों से घिरे आसिफाबाद तालुक के लान्जागुड़ा के क्षेत्र।

2. आन्ध्र प्रदेश राज्य में आदिलाबाद जिले के अंतर्गत दक्षिण में लांजागुड़ा और पश्चिम में सीरपुर तालुक के पूर्वी बारीगुड़ा तथा उत्तर में आसिफाबाद तालुक के पासीनगांव के राजस्व ग्रामों से घिरे आसिफाबाद तालुक के बन्जारी के क्षेत्र।"

सं० एन–15/13/1/3/83–यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनयम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 26–8–84 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे।

अर्थात् :—

1. "आन्ध्र प्रदेश राज्य के आदिलाबाद जिले के अंतर्गत पश्चिम में आसिफाबाद तालुक के महाजनगुड़ा (पूर्व) बन्जारी (उत्तर) और दक्षिण में सीरपुर तालुक के बोरीग्राम के राजस्व ग्रामों से घिरे आसिफाबाद तालुक के लान्जागुड़ा के क्षेत्र।

2. आन्ध्र प्रदेश राज्य में आदिलाबाद जिले के अंतर्गत दक्षिण में लाजागुंडा और पश्चिम के सीरपुर तालुक के पूर्वी बारीगुंडा तथा उत्तर में आसिफाबाद तालुक के पासीनगांव के राजस्व ग्रामों से घिरे आसिफाबाद तालुक के बन्जारी के क्षेत्र।"

सं० एन०–15/13/10/10/81–योजना एवं विकास (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 विनियम 5 के उप विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग "क", "ख" तथा "ग" के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 25-8-84 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारंभ व माप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है।	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारंभ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है।
क	25-8-84	26-1-85	25-5-85	26-10-85
ख	25-8-84	29-9-84	25-5-85	29-6-85
ग	25-8-84	24-11-84	25-5-85	31-8-85

अनुसूची :—

उड़ीसा राज्य के—

"जिला कटक में तहसील कटक सदर के राजस्व निरीक्षण टांगी क्षेत्र के अन्तर्गत हदूदा के राजस्व ग्राम"।

सं० एन०–15/13/10/10/81—यो० एवं वि० (2)–कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 26-8-1984 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे। अर्थात्

"जिला कटक में तहसील कटक सदर राजस्व निरीक्षण टांगी क्षेत्र के अन्तर्गत हदूदा के राजस्व ग्राम"।

एच० के० अहलूवालिया
निदेशक (योजना एवं विकास)

भारतीय डाक तार विभाग

डाक तार महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 सितम्बर 1984

सूचना

सं० 25-10/84-एल०आई० —नीचे जिन डाक जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है वे विभाग की अभिरक्षा में गुम हो गई हैं। अतः यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक डाक जीवन बीमा कलकत्ता को बीमेदारों के पक्ष में बीमा पालिसियों की अनुलिपि जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है।

क्र०सं०	पालिसी नं०	बीमेदार का नाम	राशि
1	104031-पी	श्री स्वामी मलय	4,000
2.	एल-22201	श्री रतन सिंह	10,000
3.	13215-एनएम	श्री कवम मनिक	5,000
4.	392762 -सी	श्री आर०एम० रावल	20,000
5.	430821-पी	श्री एस०कृष्णमून	10,000
6.	388738-पी	श्री ए०एस० महादेवन	2,000
7.	374622-पी	श्री एस० श्रीनिवासा	5,000
8.	एल-124486	श्री मनजीत सिंह	5,000
9.	453294-पी	श्री देवारथ घोष	30,000

बी०एन० सोम, निदेशक (पीएलआई)

इंडियन एयरलाइन्स

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1984

संदर्भ सं० फिन/गल्ज/38/2/ 2—एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953(1953 का 27) के अनुभाग 45 की धारा (2) की उपधारा (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ इंडियन एयरलाइन्स, इंडियन एयरलाइन्स (फलाईंगक्रू) सेवा अधिनियम 1959 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम इंडियन एयरलाइन्स (फ्लाईंग क्रू) सेवा (संशोधन) विनियम 1984 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. इंडियन एयरलाइन्स (फलाईंग क्रू) सेवा अधिनियम 1959 में विनियम 129 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा,

अर्थात :—

"129. एक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की बाकी बीमारी छुट्टियों जिनकी अधिकतम सीमा 9 हो सकती है को अगले वर्ष की छुट्टियों में इस शर्त के साथ जोड़ सकता है कि किसी भी समय इस प्रकार जोड़ी गई छुट्टियां 80 से अधिक नहीं होंगी"।

एन०सी० भर्मा
विंग कमांडर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES

Calcutta-700 001, the 22nd August 1984

Ref. No. DFC.51|ED|D|84.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 shall, with immediate effect, be amended in the follwoing manner, namely—

(i) For the words "Department of Non-Banking Companies" wherever it occurs, substitute the words "Department of Financial Companies."

(ii) In sub-paragraph (1) of paragraph 2—

(a) after the existing clause (d), a new clause (dd) shall be inserted, namely,

"(dd) equipment leasing company means any company which is a financial institution carrying on as its principal business, the activity of leasing of equipment or the financing of such activity,"

(b) in clause (j), for the words "a hire purchase finance company" the words an equipment leasing company or a hire purchase finance company", shall be substituted; and

(c) in clause (L), after the words "mutual benefit financial company" the words "and an equipment leasing company" shall be inserted.

(iii) In sub-paragraph (2) of paragraph 2, in clause (b), after the words "or a loan company", the words "or an equipment leasing company" shall be inserted.

(iv) In paragraph 5, after sub-paragraph (3) the following shall be inserted as sub-paragraph (4) namely,

"(4) Restriction on acceptance or renewal of deposits by equipment leasing companies

(i) On and from the 1st September 1984, no equipment leasing company shall receive any deposit repayable on demand or on notice or repayable after a period of less than six months and more than thirty six months from the date of receipt of such deposit or renew any deposit received by it, whether before or after the aforesaid date, unless such deposit, or renewal, is repayable not earlier than six months and not later than thirty six months from the date of such renewal.

Provided that where an equipment leasing company has, before the 1st September 1984 accepted deposits repayable after a period of more than thirty six months such deposits shall, unless renewed in accordance with these directions, be reperid in accordance with the terms of such deposits;

Provided further that nothing contained in this clause shall apply to monies raised by the issue of debentures or bonds.

(ii) On and from 1st September 1984, no equipment leasing company shall have deposits, the aggregate amount of which together with the amonts, if any, held by it which are referred to in clauses (ii), (iii) and (ix) of paragraph 3, is in excess of ten times its net owned funds.

(v) In paragraph 12, for the words "Every hire-purchase finance company and every housing finance company" the words "Every hire-purchase company, housing finance company and equipment leasing company" shall be substituted.

Ref. No. DFC.52/ED(D)-84.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely—

1. For the words "Department of Non-Banking Companies" wherever it occurs, substitute the words "Department of Financial Companies".

Y. B. DAMLE
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 14th August 1984

No. ADM/44008.—The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri N. C. Banerjee has assumed charge as Deputy Manoging Director (Associate Banks), with effect from August 11, 1984.

C. R. VIJAYRAGHAVAN
Chief General Manager
(Personnel and H.R.D.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 9th August 1984

No. 3-NCA(5)/1/84-85 : With reference to this Institute's Notification Nos. 4-CA(1)-19/79-80 dated 15-3-80, 4-CA(1)/19/79-80 dated 15-3-80, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute on Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :

Sl. No.	Membership Number	Name and Address	Date of Restoration
1.	15651	Shri Jagdish Kumar, ACA Chartered Accountant, B/81, Subhadra Colony, Sarai Rohilla, Delhi.	9-4-1984
2	15913	Shri Sudhir Kumar Gupta, ACA Chartered Accountant, C/o Shri B. K. Gupta, F/241, Greater Kailash Part 1, New Delhi-110048	2-4-1984

R. L. CHOPRA
Secretary

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 6th September 1984

No. N-15/13/1/83-P & D(1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Directo General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods or Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of mid-night of 25-8-1984 as indicated in the table given below :

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on mid-night of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	25-8-1984	26-1-1985	25-5-1985	26-10-1985
B	25-8-1984	29-9-1984	25-5-1985	29-6-1985
C	25-8-1984	24-11-1984	25-5-1985	31-8-1985

SCHEDULE

1. The area of Lanjaguda of Asifabad Taluk surrounded by the revenue villages of Mahajanguda (East) Wanjari (North) of Asifabad Taluk and Borigam of Sirpur Taluk in the South and West in Adilabad District of Andhra Pradesh State.

2. The area of Wanjari of Asifabad Taluk surrounded by Revenue villages of Lanjaguda in the South and East Bariguda of Sirpur Taluk in the West and Passingaon of Asifabad Taluk in the North within the District of Adilabad in the State of Andhra Pradesh.

No. N.15/13/1/3/83-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 26th August, 1984 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

1. The area of Lanjaguda of Asifabad Taluk surrounded by the revenue villages of Mahajanguda (East) Wanjari (North) of Asifabad Taluk and Borigam of Sirpur Taluk in the South and West in Adilabad District of Andhra Pradesh State.

2. The area of Wanjari of Asifabad Taluk surrounded by Revenue villages of Lanjaguda in the South and East Bariguda of Sirpur Taluk in the West and Passingaon of Asifabad Taluk in the North within the District of Adilabad in the State of Andhra Pradesh.

No. N-15/13/10/10/81-P&D(1).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable empoyment on the appointed day of midnight of 25-8-1984 as indicated in the table given below :

Set	First Contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	25-8-1984	26-1-1985	25-5-1985	26-10-1985
B	25-8-1984	29-9-1984	25-5-1985	29-6-1985
C	25-8-1984	24-11-1984	25-5-1985	31-8-1985

SCHEDULE

"Revenue village of Haduota under Revenue Inspection Tangi circle of Cuttack Sadar Tehsil in the District of Cuttack"

No. N. 15[13]10[10'81-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), read with Regulation, 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 26th August, 1984 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

"Revenue village of Haduota under Revenue Inspection Tangi circle of Cuttack Sadar Tehsil in the District of Cuttack."

H. K. AHUJA
(Director (PLG. & DEV

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE POST AND TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 10th September 1984

NOTICE

No. 25-10/84-LI. Postal Life Insutrance policies particularised below having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue dupaicate policies in favour of the insurants. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. and date	Name of the Insurant	Amount
1.	104031	Shri Swamy Mallath	4,000
2.	L-22201	Shri Rattan Singh	10,000
3.	13215-NM	Shri Kadam Manik	5,000
4.	392762-C	Shri R. M. Raval	20,000
5.	430821-P	Shri S. Krishnan	10,000
6.	388738-P	Shri A. S. Mahadevan	2,000
7.	374622-P	Shri S. Srinivasa	5,000
8.	L-124486	Shri Manjet Singh	5,000
9.	453294-P	Shri Debabrata Ghosh	30,000

B. N. SOM,
Director. (PLI)

INDIAN AIRLINES

New Delhi, the 14th September 1984

No. Estt[Rules[38[2.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 45 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Indian Airlines with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Airlines (Flying Crew) Service Regulations, 1959, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Airlines (Flying Crew) Service (amendment) Regulations, 1984.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Airlines (Flying Crew) Service Regulations, 1959, for regulation 129, the following regulation shall be substituted, namely :—

129 An employee may carry over to the next calendar year any unavailed portion of sick leave not exceeding 9 days per calendar year subject to the condition that the leave thus accumulated shall not exceed 80 days at any time".

N. C. BHARMA
Wg. Cdr.
Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984